

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2020/24369/PLB/PILIBHIT/268/CFO

दिनांक: 05-11-2020

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **IOCL RETAIL OUTLET SERVICE STATION** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **442 LALAURI JAHANABAD, Jahanabad-Pilibhit road, distt. Pilibhit** तहसील - **Pilibhit** प्लॉट एरिया **1575 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **301.86** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
A	1	0	6 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **IOCL RETAIL OUTLET SERVICE STATION** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Hazardous** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **IOCL RETAIL OUTLET SERVICE STATION** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : 1-NET GUARDING OF ELECTRICITY SUPPLY LINE or SHIFTING OF THE ELECTRICITY SUPPLY LINES BEYOND THE MINIMUM SAFETY DISTANCE is mandatory for fire and life safety of the IOCL RETAIL OUTLET SERVICE STATION. 2-INSTALLATION/PROVISION OF ALL STRUCTURAL , STSTIC AND PORTABLE FIRE AND LIFE SAFE MEANS , MEASURES, EQUIPMENTS, SYSTEMS ARE MANDATORY CONDITIONS PRIOR TO THE FUNCTIONAL OPERATION OF THE RETAIL OUTLET. 3- ONLINE PROCUREMENT OF FIRE AND LIFE SAFETY CERTIFICATE IS MANDATORY AS PER G.O no.1765/cha-pu-8-2017-905(34)/2016, dt.-Feb16,2018A

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

Note : 1-NET GUARDING OF ELECTRICITY SUPPLY LINE or SHIFTING OF THE ELECTRICITY SUPPLY LINES BEYOND THE MINIMUM SAFETY DISTANCE is mandatory for fire and life safety of the IOCL RETAIL OUTLET SERVICE STATION. 2-INSTALLATION/PROVISION OF ALL STRUCTURAL , STSTIC AND PORTABLE FIRE AND LIFE SAFE MEANS , MEASURES, EQUIPMENTS, SYSTEMS ARE MANDATORY CONDITIONS PRIOR TO THE FUNCTIONAL OPERATION OF THE RETAIL OUTLET. 3- ONLINE PROCUREMENT OF FIRE AND LIFE SAFETY CERTIFICATE IS MANDATORY AS PER G.O no.1765/cha-pu-8-2017-905(34)/2016, dt.-Feb16,2018A

निर्गत किये जाने का दिनांक : 29-11-2020
स्थान : PILIBHIT

कुमार विभाष / KUMAR VIVASH
वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) / Sr. Manager (Retail Sales)
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
बरेली रजिस्ट्रार कार्यालय / Bareilly Divisional Office

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Bishwarup Banerjee)

[910D3069BF75F09A4042551641565F2F3F25BB92]

29-11-2020